

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

कार्यालय आदेश

निम्नांकित परीवीक्षाधीन कार्मिको को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, की अभिशंषा पर कार्मिको को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	जिला	नाम कार्मिक/पदस्थापन	संबंधित विश्वविद्यालय का नाम/वर्ष
1.	सिरोही	बलराम सिंह, गुर्जर अध्यापक राउप्रावि, मामरा प.स. रेवदर	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
2.	अजमेर	शाहिदा, अध्यापिका, राप्रावि, हनुवन्तपुरा प.स.पीसांगन	पत्राचार बी.एड अनुमति जागिया मिलिया इरत्तामिया नई दिल्ली वर्ष 2019-20 (प्रथम वर्ष)
3.	अजमेर	तमन्ना मसूरी, अ. राउप्रावि, दौलतपुरा छछुन्दरा प.स. भीनाय	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2018-20 (द्वितीय वर्ष)
4.	अजमेर	वसुन्धरा सिंह, अ. राउप्रावि, रिगनोट प.स. अरई	पत्राचार एम.ए(उत्तरार्ध) भूगोल राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर वर्ष 2019

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कमी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा, तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. सत्र 2020-21 हेतु पुथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक की आज्ञा से

उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-4/पत्रा.बी.एड.अनु/समस्त.म/2020/ दिनांक:-17.02.2020

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर /सिरोही
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान.....।
3. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित अध्यापक राप्रावि/राउप्रावि..... जिला
5. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(पंराज)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर